नेशनल लोक अदालत दिनांक : 12/11/2016

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री आलोक उपाध्याय। आरोपी सत्यवीर, मुनेश, सोनू एवं राकेश सहित एवं दीपू की ओर से श्री एम.पी.एस.राणा अधिवक्ता।

फरियादी रमेश सहित श्री सतेन्द्र सिंह तोमर अधि.। प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रस्तुति हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी रमेश सिंह पुत्र भोगीराम सिंह कुशवाह, निवासी :— ग्राम खनेता ने उसके अधिवक्ता श्री सतेन्द्र सिंह तोमर के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी / आवेदक ने उसके अधिवक्ता श्री सतेन्द्र सिंह तोमर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 294, 341, 323 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी / आहत रमेश अभियोजित अपराध की धारा 294, 341, 323 / 34 एवं 506 भाग । । भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री सतेन्द्र सिंह तोमर अधिवक्ता द्वारा की है। आहत की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मध्र हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई शेष नहीं है। उभयपक्ष की फरियादी / आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तृत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजित की धारा 294, 341, 323 / 34 एवं 506 भाग ।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय

अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदानुसार अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 294, 341, 323/34 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी सोनू से जब्तशुदा डण्डा मूल्यहीन होने से नष्टकर व्ययनित की जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

01. राकेश गुप्ता अधिवक्ता (सदस्य)

(पंकज शर्मा)

02.. ए.बी. पाराशर अधिवक्ता (सदस्य)

<u>पीठासीन अधिकारी लोक अदालत</u> जिला भिण्ड